राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक–30.11.2016

1. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,राजस्थान।

विषय– भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से नगदी–रहित (cashless) भुगतान को प्रोत्साहित करवाने के लिए पे–पॉइन्ट चयन हेतु आयोजित शिविरों में ही पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करवाने बाबत्।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा देश में डिजीटल पेमेन्ट को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा प्रारंभ की गई भामाशाह योजना, प्लेटफॉर्म के माध्यम से आमजन को घर के नजदीक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

बजट घोषणा 2016–17 की अनुपालना में भामाशाह योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों को नगद भुगतान की व्यवस्था उनके घर के समीप उपलब्ध कराने हेतु पंचायत स्तर से नीचे प्रदेश में 15000 ई–मित्र पे–पॉइन्ट्स स्थापित किये जाने हेतु चयनित गाँवों को प्रत्येक जिला स्तर पर आप द्वारा विज्ञापित भी किया जा चुका है।

इस सम्बन्ध में प्रत्येक जिले के सभी बैंकों में माह नवम्बर व दिसम्बर में एक दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में पे–पॉइन्ट स्थापित करने के इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त कर उन्हें बैंक कर्मचारियों द्वारा शिविर में ही स्वीकृति प्रदान की जानी है। शिविर में उम्मीदवारों द्वारा अपना पैन नम्बर, आधार संख्या, पहचान व पते के दस्तावेज तथा **पुलिस द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

इस संदर्भ में त्वरित कार्यवाही अत्यावश्यक है ताकि राज्य के निवासियों को छोटे–छोटे बैंक के कामों के लिए दूर–दराज की बैंक शाखाओं में चक्कर ना लगाने पड़े। अतः पे–पॉइन्ट स्थापित करने की प्रक्रिया को शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न कराने के लिए तथा भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य में डिजीटल पेमेन्ट को प्रोत्साहित करने हेतु आपसे अपेक्षित है कि आप बैंकों में माह नवम्बर व दिसम्बर में होने वाले एक दिवसीय शिविरों के दौरान स्थानीय एसएचओ या सक्षम अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि उम्मीदवारों के **चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र शिविर में ही** जारी किए जा सकें।

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक–30.11.2016

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरि. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, लाल कोठी, जयपुर
6. राज्य समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ोदा, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, (ई–मित्र) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिला.............
9. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला.............
10. महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक समस्त बैंक..........................,जयपुर।
11. अग्रणी जिला प्रबंधक, समस्त जिला..................
12. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला.............
13. सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.............

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव